

प्रति

उपायुक्त एवं प्रभारी अधिकारी,
कॉलोनी सेल,
नगर पालिक निगम इन्दौर (म.प्र.)

विषय: ग्राम तलावली चांदा, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 164/5/1, 164/6, 164/1/1, 164/1/2, 164/4, 164/5/2, 164/7, 164/8 से 164/13 तक कुल रकबा 2.251 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास उपयोग हेतु अभिन्यास अनुमोदन बाबद्।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 95/कॉ.से./S.W./18 दिनांक 28/04/2018.
कॉलोनी का नाम :- "कासा ग्रीन - 2" (CASA GREEN-2)

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में आवेदक- प्रिंसीजन मेन्यु फेक्चर्स तर्फे पार्टनर, 1. श्री प्रताप पिता श्री सुरेशचंद्र दुबे, पता- 50, लोधीपुरा, इन्दौर, 2. श्री पंकज पिता श्री मुरलीधर नीमा, पता- 56-बी, इन्द्रागांधी नगर, इन्दौर, 3. श्रीमती शोभा पति श्री गोविन्द मिश्रा, पता- 03, जानकी नगर, इन्दौर, 4. श्री तरुण पिता श्री गोविन्द मिश्रा, पता- 502, चंद्रमणी अपार्टमेंट, जानकी नगर, इन्दौर, 5. श्री अश्विन पिता श्री निर्मल कुमार सेठी, पता- फ्लैट नम्बर 403, रौनक विहार, ओल्ड पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा ग्राम तलावली चांदा, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 164/5/1, 164/6, 164/1/1, 164/1/2, 164/4, 164/5/2, 164/7, 164/8 से 164/13 तक कुल रकबा 2.251 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास उपयोग हेतु अभिन्यास अनुमोदन बाबद् भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन बाबद् निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन।
2. आवेदन शुल्क रुपये 15,000/- ऑनलाईन चालान क्रमांक 0217223, दिनांक 05/05/2018 एवं अनुज्ञा शुल्क बालान क्र. 0217157, दिनांक 02/11/2018 द्वारा राशि रुपये 1,70,000/- द्वारा जमा। इस प्रकार कुल रुपये 1,85,000/- जमा।
3. खसरा बी-1, पी-2 वर्ष 2017-2018 एवं ऋण पुस्तिका।
4. सीमांकन रिपोर्ट।
5. शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति पत्र।
6. रूपांकन अभिन्यास।

विषयांकित भूमि का भू-स्वामी की उपस्थित में स्थल का निरीक्षण किया गया है, प्रश्नाधीन स्थल मौके पर रिक्त अवस्था में है। प्रश्नाधीन स्थल के उत्तर दिशा में स्थित शासकीय सर्वे क्रमांक 149/ की भूमि से होकर इन्दौर विकास योजना 2021 अनुसार प्रस्तावित 30.0 मीटर चौड़े मार्ग से पहुँ उपलब्ध है। प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना-2021 में भूमि आवासीय उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट है।

भू-अर्जन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर के पत्र क्रमांक 6250/भू-अर्जन/20 दिनांक 01/09/2014 द्वारा विषयांकित भूमि के संबंध में अनापत्ति दी है कि, ग्राम तलावली चांदा तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 164/5/1, 164/6, 164/1/1, 164/1/2, 164/164/5/2 164/7, 164/8 से 164/13 तक कुल रकबा 2.251 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्राधिक द्वारा घोषित किसी योजना में समाविष्ट नहीं है।

अविरत

आवेदन के साथ संलग्न न्यायालय अनुमोदित अधिकारी राजस्व, करबा इन्दौर जिला इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 296/अ-2/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 25/04/2012 द्वारा ग्राम तलावली चांदा, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 164/5/2, 164/7, 164/8, 164/10, 164/11, 164/12, 164/13 कुल रकबा 0.409 हेक्टेयर एवं प्रकरण क्रमांक 295/अ-2/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 25/04/2012 द्वारा ग्राम तलावली चांदा, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 164/1/1, 164/1/2, 164/4 कुल रकबा 1.074 हेक्टेयर एवं प्रकरण क्रमांक 294/अ-2/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 25/04/2012 द्वारा ग्राम तलावली चांदा, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 164/5/1, 164/6 कुल रकबा 0.729 हेक्टेयर भूमि को म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत केवल आवासीय उपयोग हेतु भू-व्यपवतन किया गया है। उपरोक्त आदेश में शर्त क्रमांक 03(1) में उल्लेख किया गया है कि, प्रश्नाधीन भूमि में शासकीय नजूल भूमि शामिल नहीं है।

भू-अर्जन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर के पत्र क्रमांक 7248/भू-अर्जन/2014 दिनांक 09/10/2014 द्वारा अनापत्ति दी है कि, ग्राम तलावली चांदा, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 164/5/1, 164/6, 164/1/1, 164/1/2, 164/4, 164/5/2, 164/7, 164/8 से 164/13 तक कुल रकबा 2.251 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्राधिकारी द्वारा घोषित किसी योजना में समाविष्ट नहीं है।

उपरोक्त दस्तावेजों एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों, क्षतिपूर्ति पत्र एवं स्वामित्व दस्तावेजों के आधार पर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30(1)(ख) एवं म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) एवं 2(5) के प्रावधानों के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए ग्राम तलावली चांदा, तहसील व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक 164/5/1, 164/6, 164/1/1, 164/1/2, 164/4, 164/5/2, 164/7, 164/8 से 164/13 तक कुल रकबा 2.251 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

1. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-

अ. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

ब. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम 1998

स. अन्य किसी नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

2. संलग्न मानचित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावे।

3. प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा में स्थित शासकीय सर्वे क्रमांक 149/1 की भूमि से 9.0 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग से होकर इन्दौर विकास योजना 2021 अनुसार 30.0 मीटर प्रस्तावित मार्ग से पहुंच मार्ग उपलब्ध है। उक्त पहुंच मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 9.0 मीटर रखना आवश्यक होगा। साथ ही मार्ग विस्तार हेतु खुली छोड़ी गयी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण वर्जित होगा।

4. विषयांकित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित शासकीय सर्वे क्रमांक 149/1 से 9.0 मीटर चौड़े पहुंच मार्ग के संबंध में राजस्व विभाग से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अविस्त...3

म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 प्रभावशील है। उक्त नियमों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी आयुक्त, नगर पालिका निगम है। प्रकरण में म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 के अन्तर्गत विकास अनुमति देने के पूर्व समस्त नियमों का पालन कराते हुए संशोधित विकास अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिन्यास में कुल 117 सामान्य आवासीय भूखण्डों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। आवेदक ने उक्त नियम में दिनांक 19/04/2012 को हुए संशोधन अनुसार समाज के कमजोर आयवर्ग हेतु 11 भूखण्ड तथा निम्न आयवर्ग हेतु 07 भूखण्ड, इस प्रकार कुल 18 भूखण्ड आरक्षित किये जाने का विकल्प चयन किया गया है। जिसका विस्तृत विवरण मानचित्र पर दर्शाया गया है। कॉलोनाईजर के विकल्प को मान्य करने का अधिकार म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी को है। इसकी गणना का परीक्षण स्वयं के स्तर से कर मान्य करने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है। इस हेतु आवेदक से नियमों में प्रावधानित आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करवाकर आवेदक का प्रस्ताव मान्य करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी का है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकल्प मान्य किये जाने पर ही विकास अनुमति प्रदान की जावे। यदि सक्षम प्राधिकारी विकल्प से सहमत न हो तो तदानुसार सूचित करने पर कार्यालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी के बताये अनुसार अभिन्यास में आवश्यक संशोधन मान्य किये जा कर सूचित किया जावेगा।

6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकास अनुमति जारी करने के पूर्व भूमि स्वामी से म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्त) नियम, 1998 के अन्तर्गत कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अथवा कॉलोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकृत विकासकर्ता से पंजीकृत विकास अनुबंध प्राप्त करने के पश्चात् ही विकास अनुमति जारी की जावे।
7. यह अनुज्ञा पत्र जारी होने के दिनांक से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी और उसके पश्चात् यह अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी। परन्तु आवेदक द्वारा समयावधि समाप्त होने के पूर्व आवेदन करने पर इस अनुमति को वर्षानुवर्ष दो वर्ष तक (एक-एक वर्ष) के लिये बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी दशा में उक्त अनुमति की अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
8. किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
9. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 81(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनायी होगी। इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल विद्युत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।
10. स्वास्थ्य पर्यावरण की दृष्टि से खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण करते हुए सार्वजनिक सुविधा जैसे जल-मल, विद्युत, ड्रेनेज, आदि का विकास स्थानीय संस्था की देख-रेख में स्वयं आवेदक को करना होगा।
11. प्रश्नाधीन भूमि पर विकसित होने वाले भूखण्डों/भवन के विक्रय के सम्बंधी इशतहार प्रकाशन में नगर तथा ग्राम निवेश, स्थानीय निकायो, डायवर्सन, नजूल अनापत्ति, अरबन लेण्ड सिलिंग से छूट, म.प्र. प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति सम्बंधी आदेशों के क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

अविरत....4

जिम्मेदारी आपकी की होगी।

13. यह अनुमति अहस्तांतरणीय होगी तथा अधिमान्य उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे।
14. विषयांकित भूमि पर इन्दौर विकास योजना 2021 के प्रावधानों के अनुसार विकासकर्ता को अभिन्यास अनुमोदन उपरांत कॉलोनी की स्वीकृति मिलने के पश्चात् यदि वह भूखण्ड पर निर्माण करना चाहता है तो ऐसा निर्माण विकास के साथ-साथ किया जा सकेगा। नियम 61 की सारणी क्रमांक 8 के अनुसार नगर की विकास योजना में प्रावधानित आवासीय उपयोग हेतु एफ.ए.आर. प्रभावशील होगा। इस हेतु नियमानुसार समस्त अनापत्ति/अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
15. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण किया जाये। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा। स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा।
16. संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे। इसे मान्य नहीं किया जावेगा।
17. मार्ग विस्तार के अन्तर्गत आने वाली भूमि का कब्जा बिना मुआवजा के इन्दौर विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/कलेक्टर कार्यालय अथवा मार्ग विकास की क्रियान्वयन संस्था को सौंपना होगा। इसके विरुद्ध आवेदक को म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 फुटनोट (1) अनुसार अतिरिक्त एफ.ए.आर. की पात्रता होगी।
18. प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जाये एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे।
19. भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 01/09/2009 की अनुसूची की कंडिका 8(क) के अनुसार 20000 वर्गमीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्गमीटर से कम भवन एवं संनिर्माण परियोजनाओं में तथा 8(ख) के अनुसार 50 हेक्टेयर या उससे अधिक और/या 150000 वर्गमीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरी और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-5-23/2003/32 भोपाल, दिनांक 14, अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ 801(ई) दिनांक 7 जुलाई, 2004 के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है तो इकाई प्रबंधन को/संबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट/ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा State of Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही परियोजना से जुड़े किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
20. तथा निर्माण के पूर्व ई.आय.ए. क्लीयरेंस लेना भी अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संबंधी समस्त प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।

अविरत.....5

- जब तक की आवेदक भूमि व्यपवर्तन तथा म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम, 1998 के अन्तर्गत अनुमतियों प्राप्त नहीं कर लेता।
22. विषयांकित भूमि पर शासन के आदेश अनुसार आवेदक द्वारा चयनित कॉलोनी का नाम "कासा ग्रीन - 2" (CASA GREEN -2) के आधार पर जारी की जा रही है।
 23. फायनेंस एक्ट 1994 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
 24. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 52 के प्रावधानों अनुसार विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी छोड़ने के पश्चात् निर्माण कार्य करना आवश्यक होगा।
 25. इस अनुमति के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि परिवर्तन अथवा किसी भी प्रकार से भूमि का उप विभाजन मान्य नहीं होगा।
 26. मार्ग एवं खुले स्थानों हेतु छोड़ी गई भूमि भू-राजस्व संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत अधिकारों का त्यजन राज्य सरकार के पक्ष में करने के पश्चात् ही तथा म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम 1998 के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण होने पर ही भूखण्ड विक्रय करने की अनुमति होगी।
 27. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50(ख) के प्रावधानों अनुसार यदि प्रश्नाधीन भूमि जल विकास/जल स्रोत के उच्चतम जल स्तर से 9.0 मीटर और नदी के मामले में 30.0 मीटर दूरी तक निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित होगा तथा नाले पर किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य से पूर्व संबंधित विभाग से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 28. यह अभिन्यास म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर अनुमोदित किया गया है। यदि मौके पर विकास कार्य के दौरान भूमि की चर्तु:सीमा में परिवर्तन होता है तो सीमांकित अभिन्यास पुनः इस कार्यालय से अनुमोदित कराना होगा।
 29. यदि प्रकरण में आवेदक द्वारा अनुज्ञा शुल्क जमा करने हेतु शुल्क परिलक्षित होता है तो म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं शासन द्वारा निर्धारित गणना शुल्क अनुसार ही अनुज्ञा शुल्क आवेदक द्वारा जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
 30. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होने या उपलब्ध कराई गई जानकारी असत्य पाए जाने पर या इस अनुज्ञा शर्तों के उलंघन की दशा में यह अनुज्ञा स्वतः प्रभावशून्य होकर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत (रिद्धोक) कर दी जावेगी।

संलग्न- अनुमोदित मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर (म.प्र.)

पृ. क्र./ 9431 /INDLP-4549/18/नग्रानि/2018,

इन्दौर, दिनांक 05/11/18

प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु यदि प्रश्नाधीन भूमि स्वामित्व के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद/विवाद कलेक्टर कार्यालय में प्रचलन में हो तो इस कार्यालय को अवगत करावे तथा इस अनुमति आदेश के आधार पर कोई कार्यवाही न करें। इस के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाइट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया सकता है।

अविस्त.....

प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. तहसीलदार, तहसील, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल बोर्ड इन्दौर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
6. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला पंजीयन कार्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न मानचित्र कार्यालय की वेबसाईट www.emptownplan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
7. आवेदक— प्रिंसीजन मेन्यु फेक्चर्स तर्फे पार्टनर, 1. श्री प्रताप पिता श्री सुरेशचंद्र दुबे, पता— 50, लोधीपुरा, इन्दौर, 2. श्री पंकज पिता श्री मुरलीधर नीमा, पता— 56-बी, इन्द्रागांधी नगर, इन्दौर, 3. श्रीमती शोभा पति श्री गोविन्द मिश्रा, पता— 03, जानकी नगर, इन्दौर, 4. श्री तरुण पिता श्री गोविन्द मिश्रा, पता— 502, चंद्रमणी अपार्टमेंट, जानकी नगर, इन्दौर, 5. श्री अश्विन पिता श्री निर्मल कुमार सेठी, पता— फ्लेट नम्बर 403, रौनक विहार, ओल्ड पलासिया, इन्दौर (म.प्र.) को सूचनार्थ प्रेषित।
8. वेबसाईट कॉपी।
संलग्न— अनुमोदित मानचित्र।

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
इन्दौर (म.प्र.)